77

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

III/ निगरानी/उमरिया/भू-रा/2017/2330

1– प्रभा देवी पति मंगलेश्वर प्रसाद कायस्थ

2– आशीष पिता मंगलेश्वर प्रसाद कायस्थ

दोनो निवासी चिल्हारी तह0 मानपुर जिला उमरिया म0प्र0

—— निगरानी कर्ता गण

बनाम

लल्लू पिता सूर्यदीन कायस्थ निवासी चिल्हारी तह0 मानपुर जिला उमरिया म0प्र0 —— गैर निगरानी कर्ता

निगरानी विरूद्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मानपुर जिला उमरिया म0प्र0 के राजस्व प्रकरण कमांक 71/ अपील /15–16में पारित निर्णय दिनांक30–09–15, निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0स0ि1959 ई

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य निम्न है :–

यह कि निगरानी कर्ता क01 की मां छोटकी बाई पति चन्दिका प्रसाद कायस्थ निवासी ग्राम चिल्हारी तह0 मानपुर जिला उमरिया म0प्र0 के मूल निवासी थे जिनकी सम्पूर्ण जायजाद चिन्ल्हारी ग्राम में स्थित थी छोटकी बाई एवं चन्दिका प्रसाद की एक मात्र पुत्री प्रभा देवी निगरानीकर्ता है जो कि अपनी ससुराल रीवा मे रहती है तथा बीच बीच में अपने माता पिता के घर चिल्हारी जा करके उनके रहने खाने की व्यवस्था व दवाई इत्यादि का इन्तजाम करती थी निगरानी कर्ता के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/उमरिया/भू रा./2017/2330

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/11/17	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मानपुर जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 71/15–16 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30–9–15 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी मानपुर के अंतरिम आदेश दिनांक 30–9–15 के अवलोकन से परिलक्षित है कि उन्होंने इस आदेश में निर्णय लिया है कि :– **" न्यायहित में आगामी आदेश तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर स्थगन आदेश पारित किया जाता है। "** प्रथम दृष्टया अनुविभागीय अधिकारी मानपुर का उक्तानुसार अंतरिम आदेश दिनांक 30–9–15 म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1950 की धारा 52 में किये गये सॅशोधन कमांक 42 सन् 2011 की मॅशा के विपरीत है क्योंकि इस सॅशोधन व्दारा स्थगन दिये जाने दावत् निम्न व्यवस्था की गई है – **" परन्तु आदेश का निष्पादन एक वार में तीन मास से अधिक के लिये या अगली सुनवाई की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, नहीं रोका जायेगा।"** फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी मानपुर जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 71/15–16 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30–9–15 को आगामी पेशी 23–10–15 तक प्रभावी रखने संबंधी सॅशोधन के साथ निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाती है। सदस्य	